न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस **संख्या 2023/334**

1. घनश्याम शर्मा पुत्र कानाराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बरसी जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी महोदय बरसी जिला जयपुर ।

–रेस्पोडेंट्स

3. राधेश्याम पुत्र कानाराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर।

–तरतीबी रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्र्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29–06–2018 बअदालत उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर उनवानी सरकार बनाम राधेश्याम व अन्य प्रकरण संख्या 109/2018 जिसके तहत ग्राम फाल्यावास स्थित भूमि खसरा नम्बर 124/2 में अवैध रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदत्त किये गये।

उपस्थित–

1. श्री एन.के.यादव वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–21.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 29.06.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 124/2 रकबा 0.8599 है0 बरानी तृतीय लगानी 0.8599 रूपया के संबंध में तहसीलदार बस्सी की अभिशंसा के अनुसार उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा वादग्रस्त आराजी में निर्मित पुख्ता रास्ते का खसरा पृथक से अंकित कर भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में क़िस्म गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 29.06.2018 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 29.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री घनश्याम शर्मा पुत्र कानाराम शर्मा द्वारा यह अपील

प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी बस्सी दिनांक 29.06.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम वाके ग्राम फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित अपीलार्थी की कब्जे काश्तशुदा हाल आराजी खसरा नम्बर 124/2 रकबा 0.8599 हैक्टेयर बारानी तृतीय लगानी 0.8599 रूपया के भू अभिलेखित काबिज खातेदार अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट है तथा उक्त भूमि पर अपीलार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उक्त आराजी के पश्चिम दिशा में स्थित अस्थाई रास्ता जो कि खसरा नम्बर 124/2 के दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम अस्थाई रास्ते के रूप में रास्ता मौके पर काश्तकारो के आने जाने के लिये चालू है जो कि पश्चिम में ग्राम फाल्यावारा को तथा पूर्व में ग्राम गुढावास की रोड से स्पर्श करता हुआ रास्ता चालू है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार कैम्प में समस्त ग्राम के काश्तकारो की सहुलियत के मध्य नजर उनकी आराजी में से गुजरने वाले अस्थाई एवं मौसमी रास्तो को राजस्व भू अभिलेखो में दर्ज करने बाबत लोक अदालत मेगा कैम्प आयोजित किया गया । जिस पर अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेन्ट भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आयोजित की गई लोक अदालत कैम्प में हाजीर होकर निवेदन किया कि उनकी आराजी खसरा नम्बर 124/2 के दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम अस्थाई रास्ता चालू है जिसको राजस्व भू अभिलेखो मे कटान करने से मिन अपीलार्थी को कोई आपत्ति व ऐतराज भी नही है जिस पर अधीनस्थ न्यायालयो के कर्मचारियो ने एक सरकारी खाली सफेद कागज पर पक्षकारान के मौके पर हस्ताक्षर करवा लिये गये तथा उनकी सहमति के अनुसार ही उनकी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 124/2 के दक्षिणी दिशा में ग्राम फाल्यावास से गुढावास की तरफ जाने वाली अस्थाई रास्ते को राजस्व भू अभिलेखो में कटान के रूप में राजस्व भू अभिलेखो में दर्ज करने का आश्वासन दिया गया काफी समय के पश्चात् भी रास्ता राजस्व कर्मचारियों द्वारा दर्ज नही किया गया जिस पर अपीलार्थी ने जानकारी करी तो राजस्व अधिकारियो ने रास्ता मौके पर स्थापित के अनुसार स्थाई कर राजस्व भू अभिलेखो में दर्ज कर दिया जायेगा । उसके पश्चात अपीलार्थी को कभी भी किसी प्रकार की कोई चिन्ता, फिक्र अथवा ऐतराज उक्त सहमति स्वरूप प्रदत्त रास्ते बाबत नही रहा ओर पक्षकारान पूर्णत आश्वस्त रहे कि पूर्व से स्थापित कदीमी रास्ते को ही राजस्व भू अभिलेखो में दर्ज कर दिया जायेगा जिससे की पक्षकारान को भी सहुलित रहेगी। किन्तु दिनांक 11-07-2023 को ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा कार्य करने वाले मजदूरो से अपीलाधीन आदेश के माध्यम से जो अवैध रास्ता पारित किया गया था जो कि अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 124/2 के पूर्व पश्चिम एवं उत्तरी दिशा पर सजरी नक्शे में अवैध रूप से पक्षकारान की सहमति के विपरीत दुसरे स्थान पर अन्य खातेदारान को अवैध लाभ प्रदत्त करने के कुत्सित उद्देश्य से कटान किये रास्ते पर मिट्टी से रोड बनाने वास्ते नरेगा मजदूरो से मिट्टी डालने का कार्य शुरू

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किये जाने पर मिन अपीलार्थी ने इसका घोर विरोध करते हुये मननरेगा मजदूरो को उनकी कृषि भूमि में रास्ता महदूद करने के लिये डाली जा रही मिट्टी का विरोध करते हुये अवैध बनाये जाने वाले रास्ते को रूकवाया गया जिस पर सरपंच महोदय ने अपीलार्थी को बताया कि उक्त स्थान पर डाली जा रही मिट्टी की जगह पर सरकारी आमद रफत रास्ता राजस्व भू अभिलेखो में कटान किया जा चुका है इसलिये सडक निर्माण कार्य को रोका नही जा सकता है।

लोक अदालत कैम्प में पारित किये जाने वाले अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत की भावना से पारित नही किया जाकर अपीलार्थी के आराजी खसरा नम्बर 124/2 के उत्तरी दिशा में स्थित खातेदार को नाजायज लाभ प्रदान करने के लिहाज से उसकी कृषि भूमि में आमद रफत रास्ता मुहैया करवाने के कुत्सित उद्देश्य से अपीलार्थी की कृषि भूमि में अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अवैध रास्ता काटने का उक्त नोन स्पिकिंग, कारण रहित एवं लोक अदालत में अपनाई जाने वाली न्यायक कार्यवाहियों के विपरीत जाकर उक्त अपीलाधीन साईक्लोस्टाईल प्रकार का अवैध निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहमकाम पर भी पटवारी हल्का स्वंय ने अपने हस्ताक्षर करते हुये अपने ही हस्तलिखित से रास्ते हेतू प्रतिवादीगण की सहमति दर्शाई गई है। जबकि अपीलार्थीगण ने कभी भी अपीलाधीन आदेश के माध्यम से कटान रास्ते के सम्बंध में कभी कोई सहमति प्रदत्त नही की अपीलार्थी ने अपने आराजी खसरा नम्बर 124/2 के दक्षिणी दिशा मे पगडण्डी के रूप से चालू कदीमी रास्ता जो कि पश्चिम में ग्राम फाल्यावास से पूर्व दिशा में ग्राम गुढावास की रोड से स्पर्श करते हुये रास्ते के सम्बंध में कटान बाबत सहमति प्रदत्त की थी उक्त सहमति का नाजायज फायदा उठाते हुये पटवारी हल्का महोदय ने अन्य कर्मचारियो से मिलीभगत कर खसरा नम्बर 124/3, 125/1, 125/2, 126/1 के काश्तकारो को विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तो के विपरीत जाकर बिना प्रतिफल रास्ता प्रदत्त करने के कुत्सित उद्देश्य से न्यायिक प्रक्रिया का उपहास किया है। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को अवलोकन मात्र से यह बुखबी साबित है कि पटवारी हल्का की मात्र रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर एवं फर्द अहकाम पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर अपीलाधीन आदेश में पेरोकार सरकार तहसीलदार की उपस्थिति के विपरीत हस्ताक्षर करवाये गये। जो कि पूर्णत न्यायिक प्रक्रिया का उपहास है। राजस्व लोक अदालत कैम्पो का मुख्य उद्देश्य पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति, समझाईस एवं राजीनामे से प्रकरणो को निपटारा किये जाने का कानूनी प्रावधान मात्र है गुणावगुण पर प्रकरण को निपटारा किये जाने बाबत लोक अदालतो का आयोजन नही किया जाता है। कथित प्रार्थना पत्र जो कि पटवारी हल्का द्वारा प्रिन्टेड फोर्म में भरकर तहसीलदार जी महोदय के प्रति हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में कही भी खसरा नम्बर 124/2 में 5 बिस्वा आराजी किस दिशा में रास्ते के रूप में काम में आ रही है। विशिष्ट कथनो के अभाव में अपीलार्थी यह नही समझ पाया कि मौके पर खसरा नम्बर 124/2 के दक्षिणी दिशा में स्थापित रास्ते के विपरीत उत्तरी दिशा में नया कटान का रास्ता स्थापित किया जायेगा अपीलार्थी को मुगालता आमेज कर पटवारी हल्का ने फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाकर मौके पर स्थापित रास्ते के विपरीत अपीलाधीन आदेश धोखे में रखकर अवैध सहमति प्राप्त करी हैतथा अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम पर भी पटवारी हल्का ने स्वयं के हस्ताक्षर न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत जाकर किये गये है पटवारी हल्का को किसी भी प्रकार का प्रार्थनापत्र तहसीलदार जी महोदय के प्रतिहस्ताक्षर करवाकर लैण्ड

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रिकोर्ड ऑफिसर के समक्ष भेजने का कोई न्यायिक क्षेत्राधिकार हासिल नहीं है। फर्द अहकाम पर दर्ज हस्ताक्षर एवं सहमति पटवारी हल्का द्वारा दर्ज की गई एवं अपीलाधीन आदेश में अधिनस्थ न्यायालय ने पैराकार सरकार तहसीलदार की उपस्थिति दर्ज करी तथा प्रार्थना पत्र तहसीलदार जी बस्सी द्वारा पेश करने का कथन किया गया। तथा वादग्रस्त आराजी में पुख्ता रास्ता कदीमी किस दिशा की ओर बना हुआ है रिपोर्ट में स्पष्ट दर्शित नही किया गया तथा जो नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ के साथ प्रस्तुत किया गया है उस पर अपीलार्थी के कोई हस्ताक्षर मौजूद नही है।अपीलाधीन आदेश में पारित होने वाला रास्ता कभी भी मोके पर न तो पूर्व मे चालू था ना ही वर्तमान में कोई चालू रास्ता है। मौके पर ऐसा कोई रास्ता ही मौजूद नही है तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट में यह तथ्य साबित हुआ कि प्रस्तावित रास्ता कोनसे रास्ते में जाकर मिलता है तथा किस रास्ते से उक्त रास्ते की शुरूआत होती है। जबकि स्वयं अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हाजीर अदालत होकर उनके खसरा नम्बर 124/2 के दक्षिणी दिशा में चालू प्रचलित रास्ता जो कि ग्राम फाल्यावास को ग्राम गुढावास की रोड को स्पर्श करता हुआ मौके पर चालू है जो कि पूर्वी दिशा में 307/125 की दक्षिणी दिशा में तथा खसरा नम्बर 126, 126/1, 127 के दक्षिणी दिशा में पूर्व से ही कदीमी संमय से रास्ते के रूप में खसरा नम्बर 306/127 मौके पर चालू अवस्था में हाल आबाद है अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के खसरा नम्बर 124/2 के दक्षिणी दिशा में कदीमी समय से पूर्व चालू रास्ते के विपरीत अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलार्थी की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द कर भू माफिया लोगो को उनकी आराजी में विधिक प्रावधानो के विपरीत जाकर रास्ता प्रदत्त करने का अवैध अपीलाधीन आदेश उक्त धारा व नियमो के अन्तर्गत ऐसा किसी भी प्रकार का रास्ता राजस्व अभिलखो में दर्ज करने का कोई कानूनी प्रावधान नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 131, 132 भू राजस्व अधिनियम तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 58, 59, 60, 66, एंव 86 में वर्णित प्रावधानो तथा उन पर प्रतिपादित सिद्वान्तो के विपरीत जाकर अवैध अपीलाधीन साईक्लोस्टाईल निर्णय प्रथम पेशी पर ही पूर्णत विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये पारित किया है जो पूर्ण रूपेण विधिक प्रक्रिया का उपहास है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार की बिना सहमति के उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं जिसमें सभी सह खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही रास्ता दर्ज करने का प्रावधान है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2018 निरस्त फरमाया जावे।

संभागीय आयुक्त जयपुर

6 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार बस्सी ने अपीलांट की सहमति के आधार पर ही रास्ता हेतु अभिशंसा की है एवं प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू एवं सार्वजनिक

उपयोग में आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व सरपंच की जॉच के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलांट के कथनानुसार अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 13.07.2023 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्पीकिंग आदेश पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वादग्रस्त रास्ते के नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि रास्ते के दोनों छोर खुले हुए हैं तथा किसी अन्य रास्ते के साथ विवादग्रस्त रास्ते के संस्पर्शी कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इस तथ्य से इस संशय को बल मिलता है कि यह रास्ता कदीमी रूप से प्रचलन में है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी का भी कथन यही है कि उसके द्वारा भूमि खसरा नं. 124/2 के दक्षिण दिशा में प्रचलित रास्ते को रिकार्ड में दर्ज करने बाबत् सहमति प्रदान की गई थी जबकि भूमि की उत्तर दिशा से नया रास्ता कायम कर दिया गया है। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा ''काउन्टर हस्ताक्षर'' किए गए हैं जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा भी मौका निरीक्षण नहीं किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>अतः आदेश है कि</u>: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 29.06.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर तथा अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

(रश्मि गुप्ता)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।